पंजीकृत

सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या–1365 / एक–1–2016–20(8) / 2016

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2016

विषयः– उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 की अधिसूचना का गजट में प्रकाशन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8 सन्, 2012) की धारा–233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राजस्व अनुभाग–1 के अधिसूचना संख्या–1364/एक–1–2016–20(8) / 2016, दिनॉक 20 .10.2016 निर्गत की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग–1 के अधिसूचना संख्या–1364 / एक–1–2016–20(8) / 2016, दिनॉक 20.10.2016 की अंग्रेजी एवं हिन्दी की मूल प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराने का कष्ट करें। अधिसूचना की 300–300 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुए राजस्व अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाय कि असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित होने वाली अधिसूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

संख्या– 1365 (1) / एक–1–2016–20(8) / 2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-1364/एक-1-2016-20(8)/2016

लखनऊ: दिनाँक: 20 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, सन् 2012) की धारा 233 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 57 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 में, नियम-57 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (12) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(12)- ऐसा प्रत्येक आवंटन पांच वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित किया जायेगा और उसका आगे न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही बढ़ाया जायेगा।	(12)- ऐसा प्रत्येक आवंटन दस वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित किया जायेगा और उसका आगे न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही उसे बढ़ाया जायेगा।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)

प्रमुख सचिव।